नगरीय निकाय चुनावों में महिलाओं की भूमिका

अजमेर नगर निगम के 2010 एवं 2015 के चुनावों का तुलनात्मक विश्लेषण

ROLE OF WOMEN IN URBAN BODY ELECTIONS

A COMPARATIVE ANALYSIS OF 2010 AND 2015 ELECTIONS OF AJMER MUNICIPAL CORPORATION

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
को पीएच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध रूपरेखा

समाज विज्ञान संकाय

शोधार्थी
सीमा आर्य

शोध निर्देशक
डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव

राजनीति विज्ञान विभाग
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

2014

Appendix - IV
Format for Outline of Proposed Research Work
(To be supplied in Six Copies)

1. **Name of Scholar (In English)** Mrs. Seema Arya
   (In Hindi) श्रीमती सीमा आर्य
2. **Title of the Research Work :** नगरीय निकाय चुनावों में महिलाओं की भूमिका : अजमेर नगर निगम के 2010 एवं 2015 के चुनावों का तुलनात्मक विश्लेषण

   Role of Women in Urban Body Elections : A Comparative Analysis of 2010 and 2015 Elections of Ajmer Municipal Corporation
3. **Location**
   (a) **Institution/ Department where the work is to be done** ***P.G. Department of Political Science, S.P.C. Government College, Ajmer***
   (b) **Geographical area of investigation, if any** ***Ajmer***

4.	**Introduction Importance of Proposed Investigation, Objectives**	**1-4**
5.	**Review (Work already done on the subject of proposed Research Study)**	**4-10**
6.	**Research Gaps indentified in the proposed field of investigation. (Based on the Review)**	**11**
7.	**Major Hypothesis, if any.**	**11**
8.	**Research Methodology**	**11-14**
9.	**Chapterization**	**14-15**
10.	**List of References cited.**	**15-20**

सीमा आर्य
Signature of the Candidate with date
18/8/2015

Outline Approved

18.8.2015
व्याख्याता
(Ashok Kumar Srivastava)
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
Name and Signature of supervisor with date & seal
Lecturer in Pol. Sc.
S.P.C.Govt. College, Ajmer

प्रस्तावित शोध–कार्य की प्रस्तावना (Proposed Research Investigation in Production)

किसी भी देश की जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाओं का होता है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में समावेशित किये बिना किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास की कल्पना को साकार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्र प्रणेता स्वामी विवेकानन्द ने भी विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता को आवश्यक बताते हुए कहा था कि, "जिस प्रकार एक पंख से चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती है, उसी प्रकार बिना महिलाओं की सहभागिता के कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता।"

महिलाएँ समाज का अभिन्न अंग हैं, महिला सहभागिता के बिना सामाजिक एवं आर्थिक विकास की अवधारणा अधूरी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, विशेषतः राजनीति में उनकी प्रभावी एवं सशक्त सहभागिता सुनिश्चित की जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी महिला सहभागिता एवं महिला प्रतिनिधित्व को आवश्यक माना है। भारत ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अंगीकार किया है। संविधान सभी के लिए समान अवसरों एवं भेदभाव रहित व्यवस्था की प्रत्याभूति देता है। इतने संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के उपरांत भी देश में महिला–पुरुष समता को प्राप्त नहीं किया जा सका।

स्वतंत्रता के पश्चात् देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने, सशक्त व सुदृढ़ करने हेतु अनेक नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया गया। जिसके फलस्वरूप महिलाओं ने न केवल सामाजिक वरन् राजनीतिक पटल पर पदार्पण किया और सफलता प्राप्त की। श्रीमती इन्दिरा गांधी भारतीय राजनीति में उन अग्रणी महिलाओं में से एक है जिन्होंने भारत को राष्ट्रीय नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दी। 1959 में वे कॉंग्रेस अध्यक्षा बनीं, साथ ही भारत के महान् पद प्रधानमंत्री पद पर 1966 से 1977 एवं सन् 1980 से 1984 तक आसीन रहीं। न केवल महिलाएँ प्रधानमंत्री पद वरन् देश के सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति पद पर आसीन श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2004 में अपनी राजनीतिक सहभागिता में

उपस्थिति दर्ज करवाई है जिसके कारण सरकार के तीनों अंगों (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका) में महिला सहभागिता बढ़ी है। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव 1952 में जहाँ महिलाओं की संख्या 22 और प्रतिशत 4.4 था। वहीं 2009 के चुनावों में इनकी संख्या 58 व प्रतिशत 10.6 तक बढ़ गया है। 16वीं लोकसभा के आम चुनावों में जीत के मामले में महिलाएँ जहाँ 9.13 प्रतिशत सफल रहीं वहीं पुरुष मात्र 6.36 प्रतिशत तक ही सीमित रहे। दलों के संगठनात्मक ढांचे में भी महिला सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रावधान बनाये जा रहे हैं। यद्यपि काँग्रेस में 10 प्रतिशत, भाजपा में 8 प्रतिशत, तीसरे मोर्चे में 7 प्रतिशत, मार्क्सवादी पार्टी 6 प्रतिशत, कम्यूनिस्ट पार्टी में 5 प्रतिशत पद महिलाओं को उपलब्ध कराये गये हैं जिसके कारण महिला क्रियाशीलता को बढ़ावा मिला।

राजस्थान की राजनीति की बात की जाए, तो महिलाओं का प्रतिशत यहाँ भी बढ़ा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1952 में महिला प्रतिशत 1.25 था। वहीं तेरहवीं विधानसभा में उनका प्रतिशत 14.50 तक बढ़ गया। इस तथ्य को देखते हुए सरकार ने महिलाओं की प्रस्थिति के संवर्धन, उनके सामाजिक व पारिवारिक जीवन स्तर को सुधारने तथा राजनीतिक जागरुकता में वृद्धि करने हेतु 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में महिलाओं को एक तिहाई स्थानों का आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जिसके कारण उनकी सहभागिता में प्रत्याशित वृद्धि हुई है। जनवरी–फरवरी 2010 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में आधे से अधिक स्थानों पर महिलाएँ निर्वाचित हुई हैं। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण रूपी कवच की प्राप्ति होने के कारण महिलाओं में राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जागृति एवं राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात हुआ और उनकी प्रतिष्ठा में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

उल्लेखनीय है कि भारत में राजनीतिक केन्द्रित आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जारी है। आशय यह है, कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के फलस्वरूप आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक चेतना, सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व में वृद्धि के फलस्वरूप समाज के विभिन्न समूहों का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन भी हुआ है। इसी तर्कसंगति में महिलाओं की आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका तभी संभव है जबकि वे राजनीति में

प्रभावशाली सहभागिता करें। तदनुसार लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। किन्तु नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण 1992 में लागू कर दिया है। अतः स्थानीय निकायों के चुनावों में महिला सहभागिता का जो स्वरूप विकसित हो रहा है, उससे महिलाओं की जो राजनीतिक भूमिका निर्मित हो रही है, उसका अध्ययन इस दृष्टि से समीचीन होगा कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिला सहभागिता की दिशा क्या है।

प्रस्तावित शोध का महत्व (Importance of Proposed Investigation)

1. महिला सहभागिता के क्षेत्र में सरकार ने जो भी नीतियाँ बनाई हैं। उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि चाहे आरक्षित क्षेत्र हो या अनारक्षित हर क्षेत्र में महिला सहभागिता बढ़ी है, विकास की इस प्रक्रिया में महिला भूमिका का अध्ययन करना।
2. महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के फलस्वरूप उनका सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में भी उन्नयन हो रहा है। क्या उनको राजनीतिक सहभागिता महिलाओं के इस उन्नयन में योगदान दे रही है, इन सभी तर्कसंगत आधारों का अध्ययन करना।
3. महिलाओं की सहभागिता केवल चुनावी स्तर तक ही सीमित है या अन्य राजनीतिक मोर्चों, मुद्दों, वार्ड सभाओं में भी उनकी उपस्थिति दिखाई देती है। महिला सहभागिता के इसी राजनीतिक स्वरूप को समझना।
4. महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पंचायती राज अधिनियम के फलस्वरूप स्थानीय स्तरों पर तो स्पष्टतः दिखाई देती है, लेकिन राज्य एवं केन्द्रीय स्तर पर उनकी सहभागिता स्पष्ट नहीं है, जब तक सभी स्तरों पर महिला सहभागिता नहीं होगी तब तक महिलाएँ सामाजिक राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में अधिक सक्रिय नहीं हो पायेगीं। इसलिए अध्ययन द्वारा महिला सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया गया है।
5. राजस्थान की राजनीति में महिला सहभागिता के स्वरूप को समझना बेहद आवश्यक है, विशेषतः इसलिए कि विगत चुनावों में महिला सहभागिता में 14.50

प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस महत्वपूर्ण परिघटना के स्वरूप और कारणों को स्थानीय स्तर की राजनीति के स्तर को समझना आवश्यक है।

शोध के उद्देश्य (Objectives of Research)

1. 1995 ई. से राजस्थान में नगर निकाय चुनावों में उभरी महिला सहभागिता के स्वरूप का अध्ययन करना।
2. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक चेतना का एवं विशेषतः अजमेर नगर निगम में उनकी भूमिका का अध्ययन करना।
3. नगर निकायों में महिला आरक्षण के प्रावधानों के फलस्वरूप महिला सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व की प्रभाविता का अध्ययन करना।
4. महिला सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व में आने वाली समस्याओं का अध्ययन कर अपनी तरफ से सुझाव देना।

अध्ययन विषय पर पूर्व में किये गये कार्य का पुनरावलोकन (Review of Work Already Done on the Subject)

1. अशोक शर्मा, "भारत में स्थानीय प्रशासन", आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स जयपुर 1991 पुस्तक में लेखक ने स्थानीय शासन की संस्थाओं की प्रकृति में आए परिवर्तन से लोकतंत्र को धरातल के आम आदमी तक पहुँचाने का प्रयास किया है। संदर्भ में स्थानीय स्वशासन की नगरीय और ग्रामीण इकाईयों के विभिन्न सैद्धान्तिक संरचनात्मक एवं संस्थागत प्रक्रियाओं का विवेचन किया है एवं भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के दर्शन सिद्धान्त और व्यवहार को स्पष्टः देते हुए 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् उभरे विविध प्रावधानों के आलोक में गठित की जाने वाली पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पक्षा से जुड़ी प्रशासनिक, व्यवहारिक, वित्तीय व नियन्त्रण सम्बन्धी समस्याओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया है।
2. शमता सेठ, "पंचायती राज", हिमांशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर व नई दिल्ली 2002 में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था अर्थात् ग्राम पंचायत,

पंचायत समिति व जिला परिषद् का अध्ययन किया गया है। इस पुस्तक में उदयपुर संभाग की ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषदों के व्यक्तियों का अनुभवमूलक अध्ययन किया गया है। इन संस्थाओं के द्वारा ही जनतंत्र को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जा सकता है।

3. रेखा दूत और ज्यूडिट कोनबर्ग, "विमैन इन डवलपिंग कन्ट्रीज : ऐसेसिंग स्ट्रेटजीस फॉर एम्पावरमेंट", ल्यूनर पब्लिशर्स, लंदन, 2002 पृ. सं. 1 के अनुसार सशक्तीकरण का अभिप्राय संसाधनों के पुनर्वितरण से है। महिला सशक्तीकरण को ये पितृसत्तात्मक विचारधारा को चुनौती देना मानते हैं। इनके अनुसार पुरुष प्रधान संरचना को बदलना और उन संस्थाओं को पुनर्गठित करना है जो लिंग–विभेदीकरण और सामाजिक असमानता को बढ़ाती है।

4. एस.आर. निगम, "लोकल गवर्नमेंट", एस.चांद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली 1987, प्रस्तुत पुस्तक में नगर निगमों के आन्तरिक संगठन का विवेचन किया गया है एवं सभी राज्यों के नगर निकायों से सम्बन्धित अधिनियमों में निर्दिष्ट अनिवार्य, ऐच्छिक एवं विशेष कार्यों को समेकित रूप में करने का प्रयास किया है। अध्ययन से परिलक्षित है कि नगर निगमों के अधिनियम में यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अनिवार्य दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करने के पश्चात् उनके पास समय, श्रम और साधन उपलब्ध रहें तो ऐच्छिक सूची में अंकित कार्यों को प्राथमिकता से निष्पादित करें।

5. मानचन्दखण्डेला, "महिला सशक्तीकरण", अरिहन्त पब्लिशर्स जयपुर, 2002 में लेखक ने मुख्यतः महिला आयोगों की उपयोगिता, स्वैच्छिक संगठनों की सार्थकता, थोथी आधुनिकता, सामाजिक रूढ़ियों व कुरीतियों की भयावहता एवं सरकारी योजनाओं की उपादेयता जैसे विभिन्न सामाजिक विषयों का वस्तुनिष्ठ व तार्किक विश्लेषण किया है। पुस्तक में महिला सशक्तीकरण की अवधारणा, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में तेजी से होते जा रहे परिवर्तन में आम भारतीय महिला की पीड़ित, उपेक्षित असहाय व निरक्षर महिलाओं की मजबूरियाँ, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर कार्यरत महिला आयोग के क्रियाकलापों व विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित समंकों को प्रस्तुत किया गया है।

6. मधु राठौड़, "पंचायती राज और महिला विकास" पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर 2002 पुस्तक में पंचायती राज का वर्तमान स्वरूप, ग्रामीण विकास के विभिन्न आयाम तथा विशेष रूप में महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकार, कानून एवं उससे सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन किया गया है और साथ ही समस्याओं का विश्लेषण करते हुए सुझावों का अध्ययन किया गया है।

7. आर. पी. जोशी, रूपा मंगलानी, "भारत में पंचायती राज," हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2002 पुस्तक में पंचायती राज के सैद्धान्तिक, संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण को 73वें संविधान संशोधन के आलेख में विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। इस पर भी विचार किया गया है कि क्या पंचायती राज की नई व्यवस्था से संविधान संशोधन की भावना की पूर्ति हुई है।

8. प्रकाश नारायण नाटाणी, "महिला जागृति और कानून" आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर 2002 में भारत में स्वाधीनता के बाद महिलाओं की स्थिति, भारत में महिला सशक्तीकरण के प्रयास, विकास में महिलाओं की भूमिका, भारत के ग्रामीण विकास में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, आदि प्रश्नों पर विचार किया गया है।

9. सीमोन द बोउवार, "स्त्री : उपेक्षित (सम्पादित प्रभा खेतान)", हिन्द पॉकेट बुक्स, दिल्ली, 2002 का मानना है कि मात्र आर्थिक स्थिति बदलते ही स्त्री में पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा यह संभव नहीं है। आर्थिक व्यवस्था एक महत्त्वपूर्ण आयाम है, सशक्तीकरण का, इसके बावजूद नैतिक, सामाजिक सांस्कृतिक आदि रूपों में भी सशक्तीकरण की आवश्यकता है। ये सब परस्पर पूरक है। तभी नयी सशक्त नारी का आर्विभाव संभव होगा। महिला के विकास की वैचारिक क्रान्ति सतत् चलती रहनी चाहिए। इसके समसामयिक, देशकाल और परिस्थितियों के अनुसार समाज के सामने लाना चाहिए।

10. साधना आर्य, निवेदिता मेनन जिनी लोक नीता, "नारीवादी राजनीति", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली 2001 के अनुसार सशक्तीकरण का अर्थ है हीनता के ढांचों, कानूनों, सम्पत्ति, अधिकार, स्वामित्व के ढांचों और अन्य

संस्थाओं, जो कि पुरुष प्रभुत्व को बनाये रखने में सहायक है में आमूल परिवर्तन किये जायें। इसका मूल स्वरूप यह है कि पुरुष समाज में जो वर्चस्व वर्षों से पुरुषों का चला आ रहा था उनका विध्वंस किया जाए। महिलाओं को निम्न स्थिति में रखने का कारण उनके ऊपर थोपी गयी परम्पराएँ और रूढ़ियाँ हैं। अगर इस व्यवस्था में परिवर्तन होगा तो महिलाओं का सशक्तीकरण होगा।

11. मोहित भट्टाचार्य, "स्टेट डायरेक्ट्रेट्स ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन : द इण्डियन इस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन" नई दिल्ली, 1969। इस संदर्भ में स्थानीय निकायों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने और राज्य सरकार को नगरीय शासन के सम्बन्ध में नीतियों तथा कार्यक्रमों के निरूपण में सलाह देने के लिए स्थानीय निकाय निर्देशालय स्थापना करने का सुझाव दिया है। पुस्तक में स्थानीय निकायों द्वारा प्रारम्भ की गई विकास परियोजनाओं तथा कार्यों पर पर्यवेक्षण और उस प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया है।

12. बेबीफ्राइजन, भारतीय समाज में नारी (सम्पादित प्रज्ञा शर्मा), पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर 2001 के अनुसार "पुरुषों के लिए सजना बन्द कर दो, लड़कियों को जन्म दो, महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा।"

13. स्वप्निल सारस्वत, निशान्त सिंह, "समाज राजनीति और महिलाएँ : दशा और दिशा", राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2001 का मानना है कि ग्रामीण समाज के सामजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी नगण्य है। परिणामस्वरूप महिलाएँ पैदायशी बंधुओं और आश्रित भावना से ग्रसित रहती हैं। उनमें आत्म सम्मान की कमी रहती है। कई कार्य ऐसे हैं जिनके लिए वे बनी हैं। हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन द्वारा राजनीति के क्षेत्र में महिला भागीदारी के लिए पहली बार मार्ग प्रश्स्त हुआ है। इसलिए आवश्यक है कि ग्रामीण महिलाएँ अपनी अलग व व्यक्तिगत पहचान बनाये जिससे प्रत्येक भूमिका के लिए महिलाएँ तैयार हो सकें। महिलाओं को अपनी महत्वकांक्षाओं, अभिलाषाओं और सामाजिक भूमिका के लिए प्रेरित व सक्रिय किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं का स्वयं निर्णय लेने का विश्वास हो सके। ग्रामीण महिलाओं में

नेतृत्व की गुणवत्ता भावना को प्रोत्साहित और विकसित किया जाना चाहिए ताकि वे स्वविवेक ज्ञान व निर्णय सुलझाने के तरीके विकसित कर सकें।

14. सुमन गुप्ता, "विमैन इन मॉर्डन इण्डिया : प्रोबलम्स एण्ड इश्यूज" नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2000 नारीवादी महिलाएँ लिखती हैं कि पुरुषों को महिलाओं की समस्याओं को उनके ही दृष्टिकोण से देखना चाहिए न कि स्वयं के नजरिये से। तभी क्षमता में महिलाओं का विकास संभव है।

    महिलाएँ देश का लगभग आधा तथा बहुमूल्य साधन हैं। भारत का संविधान पुरुषों और महिलाओं की समानता की बात करता है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को सामाजिक, राजनीतिक वातावरण निर्धारित करता है।

15. नीरोज सिन्हा, "विमैन इन इण्डियन पॉलिटिक्स" ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, न्यू देहली, 2000 संस्कृति महिलाओं की राजनीतिक निर्णय क्षमता के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण कारण मानती है। संस्कृति का प्रभाव महिलाओं में आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। संस्कृति भूमिका को चुनने में मदद करता है। महिला स्वयं गृहिणी, माँ, कानून निर्मात्री तथा अन्य भूमिकाओं में किसे पसन्द करती हे, यह उनके सशक्तीकरण का मुख्य आधार बन सकता है।

16. एम.ए. अंसारी, "महिला और मानवा अधिकार," ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000 पुस्तक में आज स्त्री व पुरुष के अधिकार में विशेषतः नारी अधिकारों की चेतना व नारी आन्दोलन का ऐतिहासिक संदर्भ तथा नारी के विधिक अधिकारों के सैद्धान्तिक स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया गया है। नारी के राजनीतिक अधिकारों के रूप में महिला सशक्तीकरण और सबलीकरण को आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया गया है तथा अध्ययन मुख्यतः सैद्धान्तिक है।

17. राजेश कुमार गुप्ता, "भारत में आरक्षत नीति" दिल्ली, मानक पब्लिकेशन, 2000 पुस्तक में भारत की जाति व्यवस्था के मजबूत ढाँचे तथा संवैधानिक रूप में उन्हें प्रदान किये गये। आरक्षण को विस्तृत रूप में विवेचित किया गया तथा साथ ही आरक्षण में महिलाओं को आरक्षण की बात की है। पुस्तक में आरक्षण

के विवादित मुद्दों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया तथा मंडल आयोग की सिफारिशों और समय–समय पर पिछड़े वर्ग में आरक्षण की मांग करने वाली सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, आयोगों, समितियों की अनुशंसा की भी चर्चा की गई।

18. निवेदिता मेनन, ''इल्यूसिवविमैन : फेमिनिज्म एण्ड विमेन्स रिजर्वेशन बिल'' इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, अक्टूबर 21–27, 28 नवम्बर 3, 2000, पृ. 3836 में महिला आरक्षण विधेयक सर्वप्रथम संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनत साक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 81वें संविधान संशोधन विधेयक 1996 में प्रस्तावित कियागया, संसद में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण प्रस्तावित करते हुए। लेकिन यह पारित नहीं हो सका और संयुक्त निर्वाचक समिति को सौंप दिया गया। 1998 में विधेयक (84वें संशोधन विधेयक के रूप में) को फिर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तावित किया गया। घोर विरोध के बावजूद एक बार फिर से यह पटरी से उतर गया। इसका सर्वाधुनिक अवतरण है 85वां संशोधन विधेयक, जो दिसम्बर 1999 में प्रस्तावित हुआ और इसी स्थिति भी अनिश्चित है उसी तरह जैसे पहले थी।

19. मधु किश्वर, ''वैकल्पिक महिला आरक्षण विधयेक, सड़क से सदन तक'' रविवारीय जनसत्ता, 4 जून, 2000, पृ. सं. 1 में भारतीय नारीवादी महिला की मानसिकता तथा शब्दावली का विकास पश्चिमी नारीवादी आन्दोलनों के अनुभवों को बयान करने वाली पुस्तकों से हुआ है, यहाँ के धरातल से नहीं। उल्लेखनीय है कि जब पश्चिमी देशों में वोट जैसा मौलिक अधिकार मांगने की हिम्मत करने वाली महिलाओं की तीव्र हिंसा तथा अपमानों का सामना करना पड़ रहा था, पश्चिमी महिलाधीकार, आन्दोलनों का वहाँ के पुरुषों ने कड़ा एवं अभद्र विरोध किया तथा वहाँ की महिला कार्यकत्ताओं को निजी तौर पर भी सामाजिक उपहास एवं बहिष्कार का सामना करना पड़ा, जबकि इसके ठीक विपरीत हमारे देश में स्त्री अधिकारों को लेकर समाज से संघर्ष का बुनियादी काम पुरुषों ने किया।

20. आर.पी. जोशी रूपा मंगलानी, "पंचायती राज के नवीन आयाम", यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर, 1998 में पंचायती राज को अतीत, वर्तमान एवं संभावित भविष्य की स्थिति का ही नहीं वरन् इस व्यवस्था से जुड़े राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं प्रक्रियागत मुद्दों का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में समाहित लेखकों के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के वैचारिक एवं सैद्धान्तिक स्वरूप की विवेचना के साथ ही पंचायती राज की यथार्थवादी प्रशासकीय, वित्तीय एवं नियन्त्रण सम्बन्धी समस्याओं का विश्लेषण कर सुधारात्मक सुझावों की अनुशंसा भी की गयी है। पुस्तक में विविध विद्वतापूर्ण लेखों में भारत के पंचायती राज व्यवसथा के अध्ययन के साथ–साथ राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का व्यावहारिक अध्ययन का भी विश्लेषण समाहित किया गया है। 73वों संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज के संरचनात्मक व्यवहारात्मक पक्षों की भी विवेचना की गयी है।

21. निवेदिता मेनन, "स्टेट/जेण्डर/कम्युनिटी : सिटीजनशिप इन कन्टम्प्रेरी इण्डिया" इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल एवं पोलिटीकल वीकली, जनवरी 31, 1998, पृ. सं. 3 के अनुसार भारतीय संविधान, धर्म, मूलवेश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेधकर भारत के समस्त नागरिकों की समानता की स्थापना करता है किन्तु भारतीय संरचना में दीर्घकाल से विद्यमान अमानवीय, दमन एवं अत्याचारों से संविधान निर्माता, भलीभांति अवगत थे। संवैधानिक व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से महिला सशक्तीकरण में सहायक होती दिखाई नही देती। वस्तुतः भारतीय संविधान दोहरने रूप में प्रजातन्त्रीय मूल्यों के संरक्षण का वादा करता है। एक ओर नागरिक के रूप में व्यक्ति के राजनीतिक, नागरिक एवं सामाजिक अधिकारों को मूल अधिकारों के रूप में संरक्षित करता है और दूसरी ओर भारतीय समग्रतावादी बहुलवादी, सांस्कृतिक विरासत की चिरन्तनता एवं विविधताओं की रक्षा हेतु विभिन्न समुदायों की विशिष्टाताओं को भी स्वीकार करता है।

प्रस्तावित अन्वेषण में पूर्ववर्ती शोध के अन्तरालों का अंकन (Research Gaps Identified in the Proposed Field of Investigation)

साहित्यिक पुनरावलोकन से यह ज्ञात होता है कि राजस्थान में नगर निकाय चुनाव और महिलाओं की भूमिका विषय पर अब तक शोध कार्य नहीं हुआ है। हालांकि एक तरफ कुछ रचनाओं एवं आलेखों में राजस्थान की राजनीति में महिला सहभागिता, प्रतिनिधित्व, एवं उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही राजनीति में महिला आरक्षण के प्रावधानों का भी उल्लेख किया है। लेकिन "राजस्थान नगर निकाय चुनाव में महिलाओं की भूमिका : अजमेर नगर निगम 2010 एवं 2015 का तुलनात्मक विश्लेषण" विषय पर अध्ययन 'शोध फ्रेमवर्क' में नहीं हुआ है। प्रस्तावित शोध इसी कमी को पूरा करने का प्रयास है।

शोध परिकल्पना (Major Hypothesis)

1. निर्वाचित महिलाएँ न केवल राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाएंगी, अपितु अन्य महिलाओं के सामने सशक्तीकरण की मिसाल पेश करके उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित भी करेंगी।
2. प्रतिनिधि रूप में महिलाएँ स्वयं सशक्त महसूस करेंगी एवं राजनीतिक स्तर पर महिलाओं के हितों की पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहेंगी।

शोध प्रविधि (Research Methodology)

1. प्रस्तावित शोध में अजमेर नगर निगम चुनाव 2010 एवं 2015 को सम्मिलित किया गया है। एतदर्थ नगर निगम के 10 वार्डों में से प्रत्येक से 10 मतदाताओं का चयन करते हुए कुल 100 मतदाताओं का चयन किया जाना प्रस्तावित है। इनमें सभी मतदाता महिलाएं होंगी। महिला मतदाता को श्रेणी, धर्म, शिक्षा, आयु, एवं आर्थिक स्थिति में बांटा जाएगा। इन 10 वार्डों का चयन करते हुए इनमें 5 आरक्षित महिला वार्ड से (3 सामान्य महिला वार्ड से, 1 अन्य पिछड़ा वार्ड से, 1 अनुसूचित जाति महिला वार्ड से) एवं 5 अनारक्षित वार्डों से रखे जाएंगे। प्रत्येक वार्ड में से 10 महिला मतदाताओं का चयन करते हुए 100 मतदाताओं की अनुभूति का आकलन होगा।

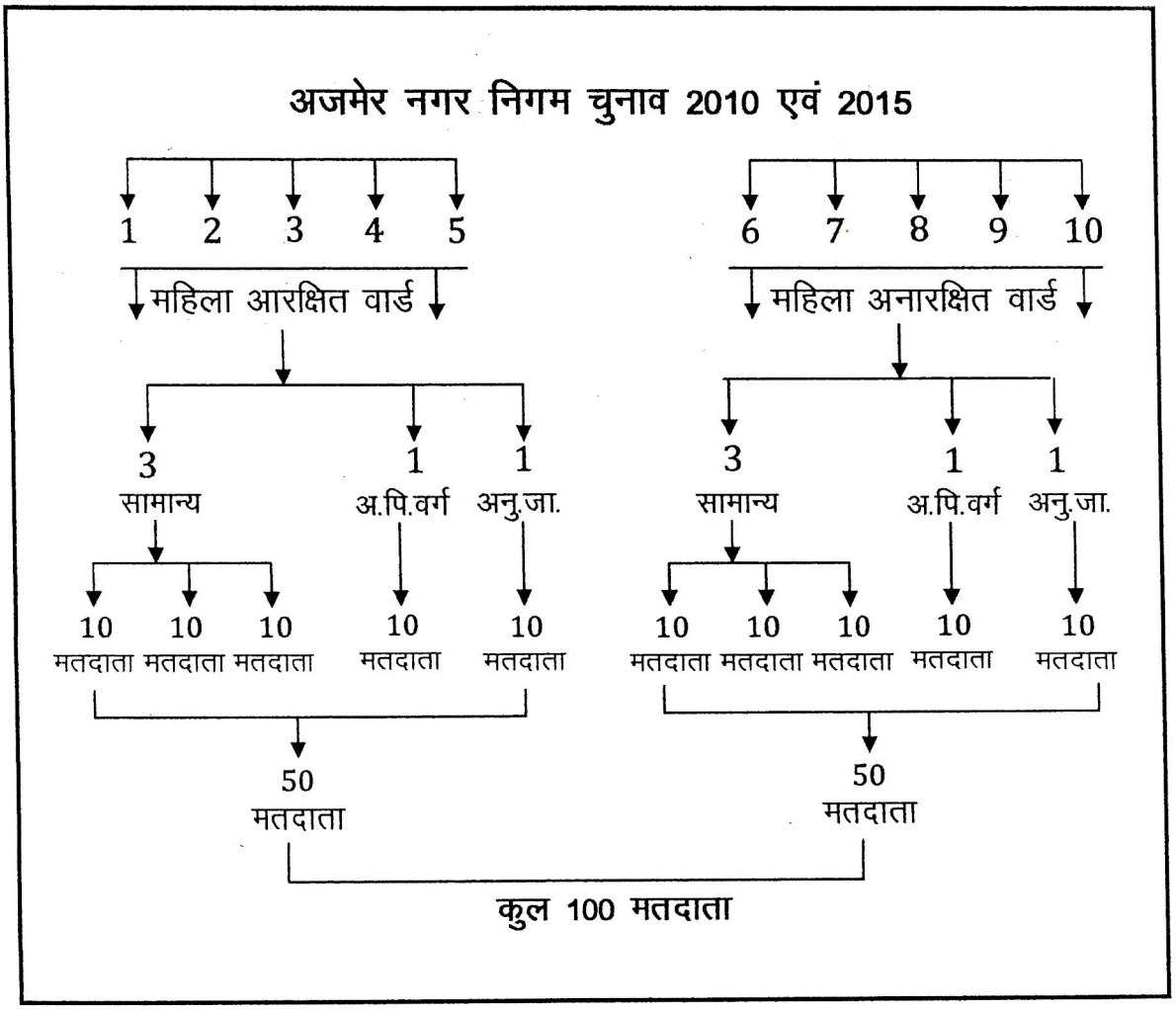
अजमेर नगर निगम चुनाव 2010 एवं 2015
1 2 3 4 5
महिला आरक्षित वार्ड
6 7 8 9 10
महिला अनारक्षित वार्ड
3 सामान्य
1 अ.पि.वर्ग
1 अनु.जा.
3 सामान्य
1 अ.पि.वर्ग
1 अनु.जा.
10 मतदाता 10 मतदाता 10 मतदाता 10 मतदाता 10 मतदाता
10 मतदाता 10 मतदाता 10 मतदाता 10 मतदाता 10 मतदाता
50 मतदाता
50 मतदाता
कुल 100 मतदाता

अजमेर नगर निगम चुनाव 2010 एवं 2015 के चुनावों में महिला मतदाताओं को निम्नलिखित श्रेणी में यथासंभव बांटने का प्रयास किया जाएगा।

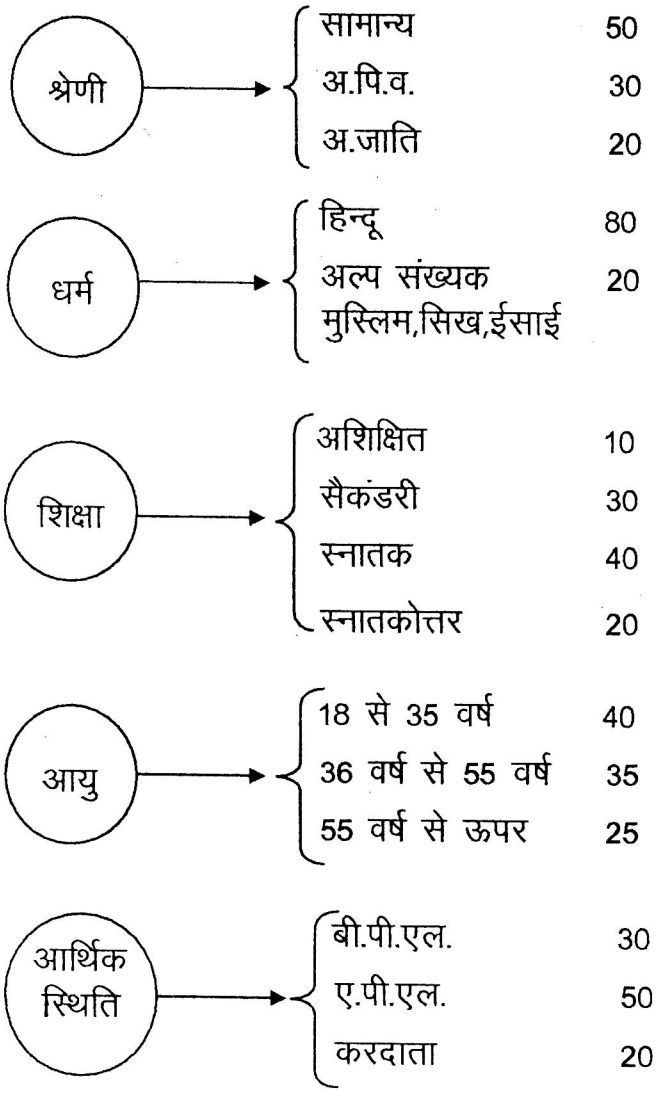

2. 10 वार्ड की 20 महिला प्रत्याशियों से भी साक्षात्कार किया जाएगा।

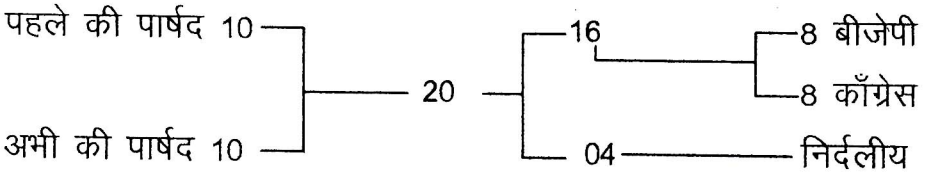

चुनाव लड़ने की रणनीति और नगर निगम में पार्षद के रूप में उनकी भूमिका (वास्तविक/प्रत्याशित) के सम्बन्ध में अध्ययन किया जाएगा।

3. 2010 एवं 2015 के नगर निगम चुनावों के उपलब्ध आंकड़ों का प्रसंगानुसार विश्लेषण किया जाएगा।

आंकड़ों का चयन (Data Collection)

प्रस्तावित शोध में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का संकलन किया जाएगा।

1. **प्राथमिक आंकड़े (Primary Data)** – प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षण द्वारा अनुसूची/साक्षात्कार एवं अवलोकन के माध्यम से किया जाएगा।
2. **द्वितीयक आंकड़े (Secondary Data)**– द्वितीयक आंकड़ों का संग्रह विषय पर उपलब्ध साहित्य, प्रतिवेदनों आलेखों एवं शोधपत्रों इत्यादि के माध्यम से किया जाएगा। विशेषतः चुनावी आंकड़ों का संकलन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित शोधकार्य की अध्यायानुसार रूपरेखा (Tentative Chapter wise details of Proposed Research)

शोध प्रबन्ध को सुविधा की दृष्टि से छः अध्यायों में बांटा जाना प्रस्तावित है।

अध्याय 1 – परिचयात्मक

(i) समस्या की रूपरेखा

(ii) उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

(iii) शोध का उद्देश्य

(iv) शोध का महत्व

(v) शोध पद्धति

(vi) प्रयुक्त अवधारणों की परिभाषाएँ (सहभागिता, प्रतिनिधित्व, महिला)

अध्याय 2 – राजस्थान में नगर निकाय चुनावों का परिदृश्य

(i) राजस्थान में नगर निकाय चुनावों का ऐतिहासिक अनुशीलन

(ii) नगर निकाय चुनाव 2010 का परिदृश्य

(iii) नगर निकाय चुनाव 2015 का परिदृश्य

अध्याय 3 – अजमेर नगर निगम चुनावों का परिदृश्य

(i) अजमेर नगर निगम चुनावों का ऐतिहासिक अनुशीलन

(ii) अजमेर नगर निगम चुनाव 2010 का परिदृश्य

(iii) अजमेर नगर निगम चुनाव 2015 का परिदृश्य

अध्याय 4 – 2010 एवं 2015 अजमेर नगर निगम चुनावों में महिला प्रतिनिधित्व

(i) प्रत्याशी/विजयी

(ii) आरक्षित/सामान्य

(iii) दलीय/निर्दलीय

(iv) रिश्तेदारी/स्वयं व्यक्तित्व

(v) जाति (आयु, शिक्षा, आर्थिक स्थिति)

अध्याय 5 – 2010 एवं 2015 अजमेर नगर निगम चुनावों में महिला सहभागिता

(i) श्रेणी (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति)

(ii) धर्म

(iii) शिक्षा

(iv) आयु

(v) आर्थिक स्थिति

अध्याय 6 – निष्कर्ष एवं सुझाव

(i) शोध का निष्कर्ष

(ii) महिला सहभागिता में बाधक तत्वों का विश्लेषण

(iii) सुझावों का प्रस्तुतिकरण

संदर्भ सूची

1. सीमोन द बोउवार – ''स्त्री : उपेक्षित (सम्पादित प्रभा खेतान)'', हिन्द पॉकेट बुक्स, दिल्ली, 2002
2. नाटाणी, प्रकाश नारायण – ''महिला जागृति और कानून'' आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2002

3. राठौड, मधु – "पंचायती राज और महिला विकास", पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2002
4. शर्मा, अशोक – "भारत में स्थानीय प्रशासन", आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर 1991
5. भट्टाचार्य, मोहित – "स्टेट डायरेक्टेरर्स ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन : द इण्डिन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, 1969
6. निगम एस. आर. – "लोकल गवर्नमेंट", एस.चाँद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 1987
7. दूत, रेखा एवं कोनबर्ग ज्यूडिट – "विमैन इन डवलपिंग कन्ट्रीज : ऐसेसिंग स्ट्रेटेजिस फॉर एम्पावरमेंट", ल्यूनर पब्लिशर्स, लंदन, 2002
8. सेठ, शमता – "पंचायती राज", हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर व नई दिल्ली, 2002
9. जोशी, आर.पी., मंगलानी, रूपा – "भारत में पंचायती राज", हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2002
10. जोशी, आर. पी., मंगलानी, रूपा – "पंचायती राज के नवीन आयाम", यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर, 1998
11. आर्य, विमला – "पंचायती राज महिलाएँ", राजस्थानी ग्रन्थागर, जोधपुर, 2007
12. सिन्हा, नवीन चन्द्र, – "भारत में पंचायती राज का इतिहास," ग्राम विकास प्रशासन संस्थान, लखनऊ, 1997
13. आर्य, साधना, मेनन निवेदिता – "नारीवादी राजनीति", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली 2001
14. बेबीफ्राइजन – भारतीय समाज में नारी (सम्पादित प्रज्ञा शर्मा), पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर 2001
15. सारस्वत, स्वप्निल, सिंह, निशान्त – "समाज राजनीति और महिलाएँ : दशा और दिशा", राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2001
16. गुप्ता, सुमन "विमैन इन मॉर्डन इण्डिया : प्रोबलम्स एण्ड इश्यूज" नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2000

17. सिन्हा, नीरोज – "विमैन इन इण्डियन पॉलिटिक्स" ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, न्यू देहली, 2000

18. मेनन, निवेदिता – "इल्यूसिवविमैन : फेमिनिज्म एण्ड विमेन्स रिजर्वेशन बिल" इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, अक्टूबर 21–27, 28 नवम्बर 3, 2000, पृ. 3836

19. किश्वर, मधु – "वैकल्पिक महिला आरक्षण विधयेक, सड़क से सदन तक" रविवारीय जनसत्ता, 4 जून, 2000, पृ. सं. 1

20. मेनन, निवेदिता – "स्टेट/जेण्डर/कम्युनिटी : सिटीजनशिप इन कन्टम्प्रेरी इण्डिया" इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल एवं पोलिटीकल वीकली, जनवरी 31, 1998, पृ. सं. 3

21. मुतालिव, एम.ए. अलीखान – "थ्योरी ऑफ लोकल गवर्नमेंट", स्टर्लिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1982

22. श्रीवास्तव सुधारानी, श्रीवास्तव रागिनी – "मानव अधिकार और महिला उत्पीड़न", कॉमनवेल्थ, दिल्ली 2001

23. एम.ए. अंसारी, "राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी", ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000

24. अनिता – "पंचायती राज एवं महिला सशक्तीकरण", राजस्थान विकास, 2000

25. अग्रवाल, सुशीला – "स्टेटस ऑफ विमैन", प्रिन्टवैल पब्लिकेशन, जयपुर 1998

26. अलीम, शकीन – "विमैन पॉलिसी एण्ड सोशल चेन्ज", प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1981

27. अंसारी, एम. ए. – "महिला और मानव अधिकार", ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000

28. अरोड़ा, रेणु – "सहकारिता और महिला सशक्तीकरण" कुरुक्षेत्र, 2000

29. अग्रवाल, चन्द्रमोहन – "भारतीय नारी : विविध आयाम" इण्डियन पब्लिशर्स, दिल्ली, 2004

30. अग्रवाल नीलिमा – "राजस्थान में महिला पंचायतीराज : दशा एवं दिशा" कुरुक्षेत्र, 2005

31. बेगु, तारा अली – "विमैन ऑफ इण्डिया", पब्लिकेशन डीविजन, भारत सरकार, 1998
32. भुनोत, शिव कुमार – "राजस्थान में पंचायत व्यवस्था", यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर, 2002
33. भटनागर, एस. – "भारत में ग्रामीण स्थानीय सरकार", पंचायती राज संदेश, 1983
34. भट्ट, शान्ता – "विमैन पार्लियामेन्टीयन्स ऑफ इण्डिया", शिखा पब्लिशर्स, उदयपुर, 1995
35. चौधरी, सी.एम. "ग्रामीण विकास : एक अध्ययन", सबटाइम पब्लिकेशन, जयपुर, 1991
36. चौधरी, मैत्रेयी, "इण्डियन विमैन्स मूवमेन्ट : रिफॉर्म एवं रिवाइल्ड," रेडियण्ड पब्लिशर्स, दिल्ली, 1993
37. दयाराम, गिदमल – "स्टेटस ऑफ विमैन इन इण्डिया", आशीष पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1989
38. देसाई, नीरा, "भारतीय समाज में नारी", मैकमिलन, नई दिल्ली, 1998
39. देवेन्द्र, किरण – "स्टेटस एण्ड पोजिशन ऑफ विमैन इन इण्डिया", नई दिल्ली, 1990
40. इन्द्रसेन, जया – "विमैन एम्पावरमेन्ट," कोणार्क पब्लिकेशन, दिल्ली 2002
41. गांधी, एम. के. – "पंचायती राज", नवजीवन, नई दिल्ली, 1963
42. गहलोत, सुखवीर सिंह – "राजस्थान पंचायती राज कानून", यूनिक ट्रेडर्स जयपुर, 2003
43. घोष, भोलानाथ – "रूरल लीडरशिप एण्ड डवलपमेंट", मोहित पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1996
44. घोष, जी.के. – "दलित विमैन", ए.पी.एच. पब्लिकेशन कॉपरेशन, नई दिल्ली, 1997
45. गिरिजाप्पा – "ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका", दयाशंकर पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1988

46. गुहा सम्पा. – पॉलिटिकल, "पार्टीसिपेशन ऑफ विमैन इन ए चेन्जिंग सोसायटी," नई दिल्ली, 1993
47. गुलाटी, सरोज – "विमैन एण्ड सोसायटी", चाणक्य प्रकाशन, नई दिल्ली, 1985
48. गुप्ता, राजेश कुमार – "भारत में आरक्षण नीति", मानक पब्लिकेशन, दिल्ली 2000
49. गुरूमूर्ति, यू. – "पंचायती राज और कमजोर वर्ग", आशीष पब्लिकेशन, नई दिल्ली
50. खण्डेला, मानचन्द्र, "महिला सशक्तीकरण", अरिहन्त पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2002

जर्नल्स

1. इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
2. इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल सांइस
3. जर्नल ऑफ एशियन स्टेडीज
4. जर्नल ऑफ कॉमनवैल्थ पॉलिटिकल साइंस
5. जर्नल ऑफ सोशल स्टडीज

पत्रिकाएँ

1. एशियन सर्वे
2. क्रॉनिकल
3. इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली
4. इंडिया टुडे
5. मॉर्डन रिव्यू
6. आऊट लुक
7. पॉलिटिकल सांइस रिव्यू

समाचार – पत्र

- दैनिक भास्कर
- दैनिक नवज्योति

- इंडियन एक्सप्रेस
- जनसत्ता
- पंजाब केसरी
- राजस्थान पत्रिका

समाचार चैनल

- आज तक
- दूरदर्शन
- डी.डी. लोकसभा
- ई.टी.वी. राजस्थान
- जी. न्यूज

बेस साइट्स

- www.bbchindi.com

सीमा आर्य
Signature of the Candidate with date
18/8/2015

Outline Approved

Name and Signature of supervisor with date & seal 18.8.2015

व्याख्याता
(Alok Kumar Srivastava)
Lecturer in Pol. Sc.
Govt. College, Ajmer